68

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू-सी-ए(3)-3/94-II तारीख: शिमला-2 30-5-2002

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 है I

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे I

2. निरसन और व्यावृत्तियां:

(i) अधिसूचना संख्या: पी.बी.डब्ल्यू.(सी)(ए)3-3/94 तारीख 19.4.95 द्वारा अधिसूचित, और समय-समय पर यथा संशोधित सहायक अभियन्ता (सिविल), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, वर्ग-I भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम(1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी I

आदेश द्वारा,

सुभाष सी. नेगी
सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार I

...2/-

65

संख्याः पी. डी. डब्ल्यु- सी-ए-(3)-3/94-II तारीखः शिमला-2 30-5-2002
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-1.
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्याः 1-4/71-पी. एस. सी. पार्ट, तारीख 8.5.2002 के सन्दर्भ मे।
6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3।
7. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए. एण्ड. ई.), हिमाचल प्रदेश शिमला-3।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
9. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र मे प्रकाशन हेतु। इनसे यह भी निवेदन किया जाता है कि राजपत्र की 100 कापियां इस विभाग को उपलब्ध करवायें।
10. श्री. डी. सी. भारद्वाज, चैयरमैन, कांउसिल आफ हि. प्र. कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय उप-मण्डल, कोटली, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (20 अतिरिक्त कापियां)।
11. गार्ड फाईल।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

****
**

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू-सी-ए(3)-3/94-II   तारीख: शिमला-2 30-5-2002

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मे सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	(i)	इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 है I
	(ii)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे I
2. निरसन और व्यावृतियां:	(i)	अधिसूचना संख्या: पी. बी. डब्ल्यू. (सी) (ए) 3-3/94 तारीख 19.4.95 द्वारा अधिसूचित, और समय-समय पर यथा संशोधित सहायक अभियन्ता (सिविल), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, वर्ग-I भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
	(ii)	परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (i) के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमो के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी I

आदेश द्वारा,

सुभाष सी. नेगी
सचिव, (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार I

...2/-

69

संख्या: पी. डी. डब्ल्यु-सी-ए-(3)-3/94-11 तारीख: शिमला-2 30-5-2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-1.
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या: 1-4/71-पी.एस.सी.पार्ट, तारीख 8.5.2002 के सन्दर्भ मे I
6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3।
7. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश शिमला-3।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
9. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र मे प्रकाशन हेतु। इनसे यह भी निवेदन किया जाता है कि राजपत्र की 100 कापियां इस विभाग को उपलब्ध करवायें।
10. श्री. डी. सी. भारद्वाज, चैयरमैन, कौंसिल आफ हि.प्र. कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय उप-मण्डल, कोटली, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (20 अतिरिक्त कापियां)।
11. गार्ड फाईल।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार I

****

**

उपाबन्ध- "क"

लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम :	सहायक अभियन्ता (सिविल)
2. पदों की संख्या :	309 (तीन सौ नौ)
3. वर्गीकरण :	वर्ग-I (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)
4. वेतनमान : (विस्तृत रूप में अंकित करें)	(क) 7880-220-8100-275-10300-150--340-12000-375-13500 रूपये (8000/- रूपये के आरम्भिक प्रारम्भ के साथ -प्रवेश वेतनमान) (ख) 10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100 रूपये। (प्रवेश वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात) (ग) 12000-375-13500-400-15500. (प्रवेश वेतनमान में 9 वर्ष की सेवा के पश्चात) (घ) 14300-400-15900-450-18150. (प्रवेश वेतनमान में 14 वर्ष की सेवा के पश्चात)
5. चयन पद अथवा अचयन पद :	अचयन पद
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु :	18 वर्ष से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गये पहले से सरकार की सेवा मे रत व्यक्तियों/ अभ्यर्थियो को लागू नही होगी ;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नही होगा ;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियो तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियो के लिए उच्चतम आयु सीमा मे उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशो के अधीन अनुज्ञेय है ;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियो को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायो के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमो/ स्वायत्त निकायो मे आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती मे आयु सीमा मे ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियो को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायो के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नही

...2/-

दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गये है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये थे/किए गये थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी/वैध अनुसार भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

अनिवार्य योग्यतायें

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

(ख) वांछनीय अर्हतायें:-

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:

आयु:- लागू नहीं

शैक्षणिक अर्हताएं:- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशिष्ट परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:

(क) सीधी भर्ती द्वारा ...30%

(ख) प्रोन्नति द्वारा ...70%

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा:

निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:-

(क) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 7 वर्ष का संयुक्त सेवाकाल हो और अर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका

..3/-

15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड या में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 15 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवाकाल हो : 45%

(ख) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो 10%

(ग) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में नियुक्ति के समय सिविल ईन्जीनियरिंग की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। 10%

(घ) ड्राफ्टमैन काडर में से जिन्होंने कम से कम मैट्रिक या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्टमैनशिप में 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और जिनका ड्राफ्टमैन काडर में 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 10 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो 4%

(ङ) ड्राफ्टमैन काडर में से जिनके पास ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य योग्यता हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो हो में से, और ऐसा न होने पर कालम 11(घ) ड्राफ्टमैन के संवर्ग में से 1%

टिप्पणः- 20 बिन्दु रोस्टर का 100 बिन्दु रोस्टर पूरा करने के लिए पाँच बार चक्रानुसरण किया जायेगा और रोस्टर का 10वाँ बिन्दु प्रथम चक्र में 100 बिन्दु पूरे करने के पश्चात् ड्राफ्टमैन काडर को जाएगा जो ए.एम.आई.ई. उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि धारक हो और यह प्रक्रिया दुहराई जाती रहेगी।

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए निम्न रोस्टर होगा:-

बिन्दु संख्या	श्रेणी
प्रथम पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
द्वितीय पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता
पांचवा पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
छटा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
आठवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
नौवा पद	सीधी भर्ती
दसवां पद	ड्राफ्टसमैन काडर
ग्यारवा पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
बारहवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
तेहरवां पद	सीधी भर्ती
चौहदवां पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन
पन्द्रवा पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
सौहलवां पद	सीधी भर्ती
सतारवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
अठारवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
उन्नीसवां पद	सीधी भर्ती
तीसवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता

रोस्टर प्रत्येक 20वीं रिक्ति के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की दी गई प्रतिशतता तक सभी प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जानी है (जायेगी) जिसमे पद रिक्त होता है।

(i) प्रोन्नति के सभी मामलो मे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.3.1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना मे ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग मे तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमो के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि इन सभी मामलो मे जिन मे कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद मे अपने कुल सेवाकाल (31.3.98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धो के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे :

परन्तु उन सभी पदधारियो की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवम प्रोन्नति नियमो मे विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वह उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण:- उक्त परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हो या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानो के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हो।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलो मे ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व समभरण पद पर 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवम प्रोन्नति नियमो के उपबन्धो के अनुसार की गई थी।

परन्तु 31.3.98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना मे लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना: विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उस द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने मे जिन परिस्थितियो मे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षा: अभ्यार्थी का किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: सीधी भर्ती के मामले मे, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण: उक्त सेवा मे नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा मे आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा: सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

....5/-

18\. शिथिल करने की शक्ति।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

Authoratative English text of this Government Notification No.PBW-C-A(3)-3/94-II dated as required under clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

No.PBW(C)A(3)-3/94-II Dated: Shimla-2,the 30-5- 2002

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India and in consultation with the HP, Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), in the Department of Public Works, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

Short title and commencement	1.(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2002.
	(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal and Savings	2. (i)	The Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Civil)(Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide Notification No.PBW(C)A(3)-3/94 dated 19.4.95 and as amended from time to time are hereby repealed.
	(ii)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

Subhash C. Negi
Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

..2/-

13

Endst.No.PBW(C)A(3)-3/94-II Dated: Shimla-2,the 30-5-2002

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretary to the Govt. of H.P.
2. All Heads of Department in the H.P.
3. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No.1-4/71-PSC-Part dated 8.5.2002.
4. The Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla-1.
5. All the Chief Engineers, HP,PWD.
6. The Accountant General, HP Shimla-3.
7. The Sr.Accountant General, (A&E), HP Shimla-3.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP, Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra (Extraordinary). He is requeseted to send 100 copies of Rajptra to this department.
9. The Sr.Law Officer (Hindi) Law Department, HP, Shimla-2.
10. The Addl. Secretary (GAD), Govt. of H.P.
10. Sh.D.C.Bhardwaj, Chairman, Council of HP, Junior Engineer o/o HPPWD Sub-Division, Kotli, Mandi, HP with 20 spare copies.
11. Guard file.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

***

*

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) CLASS-I (GAZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1. Name of the post :	Assistant Engineer(Civil).
2. Number of the posts:	309 (Three Hundred Nine)
3. Classification:	Class-I Gazetted. (Non-Ministerial nature)
4. Scale of pay:	Rs.7880-220-8100-275-10300--340-12000-375-13500 (With intial start Rs.8000/- entry scale) (b) Rs.10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100. (After 4 years service in the entry scale). (c) Rs.12000-375-13500-400-15500. (After 9 years service in the entry scale) (d) Rs.14300-400-15900-450 18150. (After 14 years service in the entry scale)
5. Whether selection post or Non--Selection post:	Selection.
6. Age for direct recruitment:	Between 18 years and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appoimtment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants.This concession will not, however, be

...2/-

admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case of candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Education and other Qualifications required for direct recruits:	ESSENTIAL: (a) Must possess a degree in Civil Engineering or its equivalent from an Institution/ University duly recognised by the Central/ State Govt. DESIRABLE: (b) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees.	AGE: Not applicable EDUCATIONAL QUALIFICATION: Not applicable.
9. Period of probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods	(i) By direct recruitment ...30% (ii) By promotion ...70%

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

BY PROMOTION FROM AMONGST:-

(i) Junior Engineers (Civil) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade and unqualified Junior Engineer (Civil) with atleast 15 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. ...45%

(ii) Junior Engineers (Civil) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Civil) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. ...10%

(iii) Junior Engineers (Civil) who possess Degree in Civil Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Civil) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. ...10%

(iv) Draughtsman cadre who have passed atleast Matriculation or its equivalent examination and possess two years diploma in Draughtsmanship course from recognised Institution and having 10 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. 4%

(v) The Draugthsman cadre who possess AMIE or its equivalent qualification and

...4/-

having three years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade failing which from amongst the draughtsman cadre against column-11(iv).

...1%

Note: The 20 point roster shall be rotated five times to complete 100 points and 10th point of the roster in the first cycle after completion of 100 points shall go to the Draughtsman cadre who possess AMIE degreee or its equivalent and so on the same process shall go on repeating.

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

Point	Category
1st post	Diploma Holder JE
2nd post	Diploma Holder JE
3rd post	Direct
4th post	AMIE JE
5th post	Diploma Holder JE
6th post	Direct
7th post	Graduate JE
8th post	Diploma Holder JE
9th post	Direct
10th post	Draughtman Cadre
11th post	Diploma Holder JE
12th post	Diploma Holder JE
13th post	Direct
14th post	AMIE JE
15th post	Diploma Holder JE
16th post	Direct
17th post	Graduate JE
18th post	Diploma Holder JE
19th post	Direct
20th post	Diploma Holder JE

(The roster will be repeated after every 20th vacancies till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post).

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post upto 31.03.98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following

...5/-

proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31.03.1998 in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideratin and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be exserviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Foreces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post upto 31.03.1998 if any, prior to the regular appointment/ against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31.03.1998 as referred to above shall remain unchanged."

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition :	DPC to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment :	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

....6/-

15. Selection for appointment to post by direct recruitment :	Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voca test. If Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
16. Reservation :	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination :	Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to Relax :	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

***
*****

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: पी. वी. डब्ल्यू-सी-ए(3)-3/94-II तारीख: शिमला-2 20.2.2004

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या. पी. वी. डब्ल्यू-(सी)ए(3)-3/94-III तारीख 30.5.2002 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है;, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2004 है ।

(ii) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

उपाबन्ध "क" का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" में,-

(क) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

" i)	सीधी भर्ती द्वारा	25%
ii)	प्रोन्नति द्वारा	75% "

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

(i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 7 वर्ष का संयुक्त सेवाकल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड या मे की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 15 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवाकाल हो : 45%

...2/-

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो

......10%

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में नियुक्ति के समय सिविल इंन्जीनियरिंग की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

......15%

(iv) ड्राफ्टमैन काडर में से जिन्होंने कम से कम मैट्रिक या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्टमैनशिप में 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और जिनका 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में निरन्तर की गई तदर्थ सेवा सहित 10 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो

......4%

(v) ड्राफ्टमैन काडर में से जिनके पास ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य योग्यता हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर कालम 11(iv) में के ड्राफ्टमैन काडर में से

......1%

टिप्पण - 20 बिन्दु रोस्टर को उपरोक्त विहित रीति में बार बार दोहराया जायेगा और तत्पश्चात् ड्राफ्टमैन काडर के लिए रखा पांचवें चक्र का दसवां बिन्दु उस ड्राफ्टमैन काडर के हिस्से को जाएगा जो ए.एम.आई.ई. उपाधि या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो।

सीधी भर्ती द्वारा और प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए निम्न रोस्टर होगा:-

बिन्दु संख्या	प्रवर्ग (श्रेणी)
प्रथम पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
द्वितीय पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता
पांचवा पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
छठा पद	सीधी भर्ती

सातवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
आठवां पद	सीधी भर्ती
नौवां पद	ड्राफ्समैन काडर
दसवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
ग्यारवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
बारहवां पद	~~सीधी भर्ती~~ [illegible]
तेहरवां पद	ए. एम. आई. ई. कनिष्ठ अभियन्ता
चौहदवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
पन्द्रवां पद	सीधी भर्ती
सोलहवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
सतारवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
अठारवां पद	सीधी भर्ती
उन्नीसवां पद	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता
बीसवां पद	

रोस्टर प्रत्येक 20वीं रिक्ति के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की दी गई प्रतिशतता तक सभी प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जानी है जिसमें पद रिक्त होता है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित) जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरन में हो के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने संवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगें :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवम प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा :

(स्पष्टीकरण) :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवम प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी;

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा की समाप्ति [illegible]
स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

सुभाष सी. नेगी
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: पी. डी. डब्ल्यू-सी-ए-(3)-3/94-II तारीख: शिमला-2 20.2.2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 1-4/71-पी.एस.सी. पार्ट, तारीख 17.1.2004 के सन्दर्भ में ।
4. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-1.
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3।
7. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए. एण्ड. ई.), हिमाचल प्रदेश शिमला-3।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
9. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु । इनसे यह भी निवेदन किया जाता है कि राजपत्र की 100 कापियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।
10. अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
11. गार्ड फाईल।

विशेष सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

****
**

Authoratative English text of this Government Notification No.PBW-C-A(3)-3/94-II dated [illegible] as required under clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

No.PBW(C)A(3)-3/94-II Dated: Shimla-2,the 20.2.2004

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the HP, Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the HP, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2002 notified vide this department notification No.BPW-C-A(3)-3/94-II dated 30.5.2002, namely:-

Short title and commencement	1.(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (First) amendment) Rules, 2004.
	(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.	In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Civil) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002;
	(a)	For the existing provision against Col.No.10, the following shall be substituted namely:- "(i) By direct recruitment ...25% ii) By promotion ...75%
	(b)	For the existing provision against Col.No.11, the following shall be substituted, namely:- (i) Junior Engineers (Civil) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade and unqualified Junior Engineer (Civil) with

...2/-

atleast 15 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

...45%

ii) Junior Engineers (Civil) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Civil) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

...10%

iii) Junior Engineers (Civil) who possess Degree in Civil Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Civil) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.

...15%

iv) Draughtsman cadre who have passed atleast Matriculation or its equivalent examination and possess two years diploma in Draughtsmanship course from recognised Institution and having 10 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

....4%

v) The Draugthsman cadre who possess AMIE or its equivalent qualification and having three years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade failing which from amongst the draughtsman cadre against column-11(iv).

...1%

The 20 point roster shall be repeated four times in the manner presrcibed above and

.....3/-

thereafter 10th point of the 5th cycle meant for draughtsman cadre shall go to the share of draughtsman cadre who possess AMIE degree or its equivalent qualification.

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

Point	Category
1st post	Diploma Holder JE
2nd post	Diploma Holder JE
3rd post	Direct
4th post	AMIE JE
5th post	Diploma Holder JE
6th post	Direct
7th post	Graduate JE
8th post	Diploma Holder JE
9th post	Direct
10th post	Draughtman Cadre
11th post	Diploma Holder JE
12th post	Diploma Holder JE
13th post	Graduate JE
14th post	AMIE JE
15th post	Diploma Holder JE
16th post	Direct
17th post	Graduate JE
18th post	Diploma Holder JE
19th post	Direct
20th post	Diploma Holder JE

(The roster will be repeated after every 20th vacancies till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post).

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideratin and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be exserviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Foreces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereudner.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By Order

Subhash C. Negi
Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No.PBW(C)A(3)-3/94-II Dated: Shimla-2,the 20.2.2004
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretary to the Govt. of H.P.
2. All Heads of Department in the H.P.
3. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No.1-4/71-PSC-Part dated 17.1.2004.
4. The Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla-1.
5. All the Chief Engineers, HP,PWD.
6. The Accountant General, HP Shimla-3.
7. The Sr Accountant General, (A&E), HP Shimla-3.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP, Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra.
9. The Addl. Secretary (GAD), Govt. of H.P.
10. Guard file.

Special Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

***

*

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: पी.वी.डब्लयू–सी.ए(3)–3/94–।। तारीख : शिमला–2, 4 मार्च,2005

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 30.5.2002 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

उपाबन्ध "क"का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" में:–

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–

"316 (तीन सौ सौलह)"

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि तारीख: शिमला–2, 4.3.2005
प्रतिलिपि प्रेषित है:--

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला–2।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
5. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–3।
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी–।।। (हिन्दी), विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2।
7. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखा सामग्री विभाग, शिमला–5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे निवेदन है कि राजपत्र की 5 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
9. गार्ड फाईल।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(184)

(Authortative English text of this Government notification No.PBW-C-A(3)-3/94-II, dated 4.3.2005 as required under Clause (3) of Article 348 of the constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No.PBW-C-A(3)-3/94-II   Dated: Shimla-2, the   4.3.2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazeted) Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this department notification of even number dated 30.5.2002, namely:-

Short title and commencement	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Third amendment) Rules, 2005.
		(ii)	These rules shall come into force form the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002;
		(a)	for the existing provision against Column No.2, the following shall be substituted namely:-
			"316" (Three hundred and sixteen)

By Order

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

......2/-

Endst.No. PBW-C-A(3)-3/94-II Dated: Shimla-2, the 4.3.2005

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries, Himachal Pradesh.
2. All the Heads of Department, Himachal Pradesh.
3. The Engineer-in-Chief. HP,PWD, Shimla-1.
4. All the Chief Engineers, HP,PWD.
5. The Secretary, HP, Public Service Commission, Shimla-2.
6. The Accountant General, H.P., Shimla-3.
7. Sr. Law Officer-III (Hindi), Law Department, HP Sectt. Shimla-2.
8. The Controller, Printing and Stationery, Shimla-5 for publication in the Rajpatra, HP and is requested to supply 5 copies of the Rajpatra to this Department.
9. Guard file.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू.–ए–बी(13)–35/97 तारीख : शिमला–2, 15/10/2005

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू.–सी–ए(3)–3/94–II तारीख 30.5.2002 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" में –

(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा –

(i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से, जिनका 07 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 07 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो

.......45 प्रतिशत

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

......10 प्रतिशत

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में नियुक्ति के समय सिविल इन्जीनियरिंग या इसके

-2/-

समतुल्य उपाधि प्राप्त हो और [illegible] नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की [illegible] तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.....14 प्रतिशत

(iv) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से, जिनके पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर सिविल इन्जीनियरिंग की उपाधि हो और जिनका 03 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 03 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

........1 प्रतिशत

(v) योजना सहायकों में से, जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 03 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उन योजना सहायकों में से जिनका योजना सहायक, वृत्त मुख्य प्रारूपकार और मुख्य प्रारूपकार के रूप में संयुक्त रूप से कम से कम 05 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से योजना सहायक के रूप में कम से कम से एक वर्ष का सेवाकाल होना अनिवार्य है।

.....4 प्रतिशत

(vi) प्रारूपकार काडर (कनिष्ठ प्रारूपकार/ प्रारूपकार/ मुख्य प्रारूपकार/वृत्त मुख्य प्रारूपकार/ योजना सहायक) में से, जिनके पास ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य योग्यता हो और जिनका प्रारूपकार काडर में 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 10 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर उपरोक्त स्तम्भ संख्या 11(v) में वर्णित प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा ।

......1 प्रतिशत

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए निम्न रोस्टर होगा :—

प्रथम पद	प्रवर्ग (i)
द्वितीय पद	प्रवर्ग (i)
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	प्रवर्ग (ii)
पांचवा पद	प्रवर्ग (i)
छटा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	प्रवर्ग (iii)
आठवा पद	प्रवर्ग (i)
नौवा पद	सीधी भर्ती
दशवा पद	प्रवर्ग (v)

11वां पद	प्रवर्ग (i)
12वां पद	प्रवर्ग (i)
13वां पद	प्रवर्ग (iii)
14वां पद	प्रवर्ग (ii)
15वां पद	प्रवर्ग (i)
16वां पद	सीधी भर्ती
17वां पद	प्रवर्ग (iii)
18वां पद	प्रवर्ग (i)
19वां पद	सीधी भर्ती
20वां पद	प्रवर्ग (i)
21वां पद	प्रवर्ग (i)
22वां पद	प्रवर्ग (i)
23वां पद	सीधी भर्ती
24वां पद	प्रवर्ग (ii)
25वां पद	प्रवर्ग (i)
26वां पद	सीधी भर्ती
27वां पद	प्रवर्ग (iii)
28वां पद	प्रवर्ग (i)
29वां पद	सीधी भर्ती
30वां पद	प्रवर्ग (v)
31वां पद	प्रवर्ग (i)
32वां पद	प्रवर्ग (i)
33वां पद	प्रवर्ग (iii)
34वां पद	प्रवर्ग (ii)
35वां पद	प्रवर्ग (i)
36वां पद	सीधी भर्ती
37वां पद	प्रवर्ग (iii)
38वां पद	प्रवर्ग (i)
39वां पद	सीधी भर्ती
40वां पद	प्रवर्ग (i)
41वां पद	प्रवर्ग (i)
42वां पद	प्रवर्ग (i)
43वां पद	सीधी भर्ती
44वां पद	प्रवर्ग (ii)
45वां पद	प्रवर्ग (i)
46वां पद	सीधी भर्ती
47वां पद	प्रवर्ग (iii)
48वां पद	प्रवर्ग (i)
49वां पद	सीधी भर्ती
50वां पद	प्रवर्ग (v)
51वां पद	प्रवर्ग (i)
52वां पद	प्रवर्ग (i)
53वां पद	प्रवर्ग (iii)
54वां पद	प्रवर्ग (ii)
55वां पद	प्रवर्ग (i)

.........4/-

56वां पद	सीधी भर्ती
57वां पद	प्रवर्ग (iii)
58वां पद	प्रवर्ग (i)
59वां पद	सीधी भर्ती
60वां पद	प्रवर्ग (i)
61वां पद	प्रवर्ग (i)
62वां पद	प्रवर्ग (i)
63वां पद	सीधी भर्ती
64वां पद	प्रवर्ग (ii)
65वां पद	प्रवर्ग (i)
66वां पद	सीधी भर्ती
67वां पद	प्रवर्ग (iii)
68वां पद	प्रवर्ग (i)
69वां पद	सीधी भर्ती
70वां पद	प्रवर्ग (v)
71वां पद	प्रवर्ग (i)
72वां पद	प्रवर्ग (i)
73वां पद	प्रवर्ग (iii)
74वां पद	प्रवर्ग (ii)
75वां पद	प्रवर्ग (i)
76वां पद	सीधी भर्ती
77वां पद	प्रवर्ग (iii)
78वां पद	प्रवर्ग (i)
79वां पद	सीधी भर्ती
80वां पद	प्रवर्ग (i)
81वां पद	प्रवर्ग (i)
82वां पद	प्रवर्ग (i)
83वां पद	सीधी भर्ती
84वां पद	प्रवर्ग (ii)
85वां पद	प्रवर्ग (i)
86वां पद	सीधी भर्ती
87वां पद	प्रवर्ग (iii)
88वां पद	प्रवर्ग (i)
89वां पद	सीधी भर्ती
90वां पद	प्रवर्ग (vi)
91वां पद	प्रवर्ग (i)
92वां पद	प्रवर्ग (i)
93वां पद	प्रवर्ग (iii)
94वां पद	प्रवर्ग (ii)
95वां पद	प्रवर्ग (i)
96वां पद	सीधी भर्ती
97वां पद	प्रवर्ग (iv)
98वां पद	प्रवर्ग (i)
99वां पद	सीधी भर्ती
100वां पद	प्रवर्ग (i)

रोस्टर प्रत्येक 100वीं रिक्ति के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की दी गई प्रतिशतता तक सभी प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। प्रवर्ग से सम्बन्धित रोस्टर जो उपर्युक्त

—5/—

दर्शाया गया कोटा प्राप्त कर लें, स्थगित रहेगा और तब पुनर्जीवित होगा जब उस श्रेणी की प्रतिशतता दर्शाये गये कोटे से कम हो जाये। किसी भी प्रकरण में, प्रत्येक श्रेणी के लिए दर्शाये गये कोटे का अतिक्रमण नहीं होगा। यद्यपि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों को वर्तमान नियमों में निर्धारित कोटे से अधिक हो जायें तो उन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा और उन्हें उनके कोटे के अनुसार भविष्य की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि तारीख शिमला–2, 15/10/,2005

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला–1/2001।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता हि.प्र. लोक निर्माण विभाग ।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को उनके पत्र संख्या1–4/71–पी.एस.सी. –पार्ट तारीख 12.9.05 के सन्दर्भ में।
5. सचिव सामान्य प्रशासन हि.प्र. शिमला–2।
6. संयुक्त सचिव (कार्मिक/वित्त/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. महालेखाकार हि.प्र. शिमला–3।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग शिमला–2।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखा सामग्री विभाग, शिमला–5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 5 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाए ।

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

186

Spare Copy

(AUTHOTATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-B(13)-35/97 DATED..15-10-05...AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSITITUTION OF INDIA).

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No. PBW-A-B(13)-35/97 Dated : Shimla-2, the 15/10/2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2002 notified vide this Department notifications number PBW-(C)A(3)-3/94-II, dated 30.5.2002, namely:-

Short title and commencement	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (4th amendment) Rules, 2005.
		(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002;
		(a)	For the existing provision against Col.No.11, the following shall be substituted namely:-

i) Junior Engineer (Civil) having 07 years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

.......45%

ii) Junior Engineer (Civil) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Civil) having 03 years' regular service or regular combined with continuous

-2/-

adhoc service in the grade.

......10%

iii) Junior Engineer (Civil) who possess degree in Civil Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Civil) having 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

........14%

iv) Junior Engineer (Civil) who possess recognized Post Graduate Degree in Civil Engineering having 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade of Junior Engineer (Civil).

.........1%

(v) Planning Assistants having three years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Planning Assistants having five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service as Planning Assistant, Circle Head Draughtsman and Head Draughtsman combined out of which one year service rendered as Planning Assistant must be essential.

.........04%

(vi) The Draughtsman cadre (which include Junior Draughtsman/ Draughtsman/Head Draughtsman/ Circle Head Draughtsman/Planning Assistant) who possess the qualification of AMIE or its equivalent qualification and having 10 years' combined regular service in the cadre of Draughtsman or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the cadre failing which by promotion from amongst the category mentioned in Column No.11(v) above.

........01%

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

1st post	Category (i)
2nd post	Category (i)
3rd post	Direct
4th post	Category (ii)
5th post	Category (i)
6th post	Direct
7th post	Category (iii)
8th post	Categoory (i)
9th post	Direct
10th post	Category (v)
11th post	Category (i)
12th post	Category (i)
13th post	Category (iii)
14th post	Category (ii)
15th post	Category (i)
16th post	Direct
17th post	Category (iii)
18th post	Categoory (i)
19th post	Direct
20th post	Category (i)
21st post	Category (i)
22nd post	Category (i)
23rd post	Direct
24th post	Category (ii)
25th post	Category (i)
26th post	Direct
27th post	Category (iii)
28th post	Categoory (i)
29th post	Direct
30th post	Category (v)
31st post	Category (i).
32nd post	Category (i)
33rd post	Category (iii)
34th post	Category (ii)
35th post	Category (i)
36th post	Direct
37th post	Category (iii)
38th post	Categoory (i)
39th post	Direct
40th post	Category (i)
41st post	Category (i)
42nd post	Category (i)
43rd post	Direct
44th post	Category (ii)
45th post	Category (i)
46th post	Direct

-4/-

47th post	Category (iii)
48th post	Categoory (i)
49th post	Direct
50th post	Category (v)
51st post	Category (i)
52nd post	Category (i)
53rd post	Category (iii)
54th post	Category (ii)
55th post	Category (i)
56th post	Direct
57th post	Category (iii)
58th post	Categoory (i)
59th post	Direct
60th post	Category (i)
61st post	Category (i)
62nd post	Category (i)
63rd post	Direct
64th post	Category (ii)
65th post	Category (i)
66th post	Direct
67th post	Category (iii)
68th post	Categoory (i)
69th post	Direct
70th post	Category (v)
71st post	Category (i)
72nd post	Category (i)
73rd post	Category (iii)
74th post	Category (ii)
75th post	Category (i)
76th post	Direct
77th post	Category (iii)
78th post	Categoory (i)
79th post	Direct
80th post	Category (i)
81st post	Category (i)
82nd post	Category (i)
83rd post	Direct
84th post	Category (ii)
85th post	Category (i)
86th post	Direct
87th post	Category (iii)
88th post	Categoory (i)
89th post	Direct
90th post	Category (vi)
91st post	Category (i)
92nd post	Category (i)
93rd post	Category (iii)
94th post	Category (ii)
95th post	Category (i)
96th post	Direct
97th post	Category (iv)

98^{th} post	Category (i)
99^{th} post	Direct
100^{th} post	Category (1)

(The roster will be repeated after every 100^{th} vacancy till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. The roster qua the category, which has achieved the prescribed quota, shall remain suspended and shall revive again when percentage of that category falls below the prescribed quota. In no case, the quota prescribed for respective category shall be violated. However, the persons of particular category if found in excess of these quota as per the present rule shall not be reverted and they shall be adjusted against future vacncies falling to their share.

By Order,

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. PBW-A-B(13)-35/97 Dated : Shimla-2, the 15/10/ .2005
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla-171001.
2. All the Chief Engineers, HP,PWD.
3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, HP,PWD.
4. The Secretary, HP,PSC, Shimla-2 w.r.t. his letter No.1-4/71-PSC-Part, dated 12.9.2005.
5. Joint Secretary (Personnel/Finance/Law), Govt. of H.P., Shimla-2.
6. The Accountant General, HP Shimla-3.
7. Sr.Law Officer (Hindi),Law Deptt. HP Sectt., Shimla-2.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP Govt. Press, Shimla-5 for publication in the Exta ordinary Rajpatra. He is requested to supply 25 copies of the Rajpatra to this Department.,

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याः पी.वी.डब्ल्यू. ए बी(13) 35/97 तारीख : शिमला 2, 14/9/2006

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.डी.डब्ल्यू. सी ए(3) 3/94 ।। तारीख 30.5.2002 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए और इस अधिसूचना से संलग्न संविदा नियुक्ति के लिए करार बंधपत्र उपाबन्ध–"क" के अनुसार निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति (पांचवा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" में:–

1. स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

(क) "30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर सम्बन्धित भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से; और

(ख) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। "

2. स्तम्भ संख्या 15 के नीचे, निम्नलिखित नया उपबन्ध 15–क निगमित किया जाएगा, अर्थातः–

15–क संविदा के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए चयन और नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें :–

(क) संविदा के आधार पर चयन सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(ख) प्रमुख अभियन्ता (इन्जीनीयर इन चीफ) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को दो अग्रणी समाचार पत्रो में उसे विज्ञापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं की अपेक्षा आधार पर बढाया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य, आचरण और कार्यक्षमता के उच्च स्तर के अध्यधीन और बढाया जाएगा। तथापि उनकी सेवायें संविदा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व एक मास का नोटिस जारी करके या नोटिस के बदले में एक मास का वेतन देकर यदि उनकी सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित नहीं है, समाप्त की जा सकेंगी, जिसके लिए पहले आया, अन्त में जाएगा (फर्स्ट कम लास्ट गो) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। उनकी सेवाएं संविदा के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी यदि उनका आचरण और कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, जिसके लिए सुनवाई का सम्यक अवसर दिए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां, जैसी सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाएं, संदत्त की जाएंगी।

(ङ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावे करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(च)(i)नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है ।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नही होगा वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं <u>होगा/होगी।</u> नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(iii) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।

(iv) संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जन–जातीय क्षेत्रों में कार्यालय काम (आफिस जॉबज) में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जायेगी। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा के नवीकरण, यदि कोई हो, के समय व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान या कार्यालय में की जा सकती है।

(v) चयनित अभ्यर्थी को <u>सरकारी /रजिस्टीकृत</u> चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा <u>अधिकारी/व्यवसायी</u> द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(vi) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, अभ्यार्थी को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी

दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(vii) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के चयन के पश्चात् उसे विभाग द्वारा यथा अधिकथित समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों से उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न करार हस्ताक्षरित करना होगा।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि तारीख: शिमला-2, 14/9/,2006

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-171001।
2. रागरत मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता हि.प्र. लोक निर्माण विभाग ।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 ।
5. संयुक्त सचिव (कार्मिक/वित्त/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. महालेखाकार हि.प्र. शिमला-3।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग शिमला 2।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखा सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 5 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं ।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

262

उपाबन्ध "क"

सहायक अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति ....पुत्र/पुत्री श्री.......... ....निवासी .... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख.. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया (वचनबन्ध किया) है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दे दी है:

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में ....से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां जो कि पद का मूल वेतन+मंहगाई वेतन या जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाएं, संदत्त की जाएगी ।

3. इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

4. नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति होने की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जन–जातीय क्षेत्रों में या आफिस जॉबज में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जांएगी । संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा के नवीकरणए यदि कोई होए के समय व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान व कार्यालय में की जा सकती है।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थीए प्रसव होने तकए अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

263

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कोए यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित होए तो वह उसी दर परए जैसा कि नियमित कर्मचारियों को लागू हैए यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर
(प्रथम पक्षकार)

स्थान :-
दिनांक :-

2. नियोक्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्षकार

गवाह :-

(1) ________________
____
____

(2) ________________
____
____

(AUTHOTATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-B(13)-35/97 DATED.....................AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSITITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No. PBW-A-B(13)-35/97 Dated : Shimla-2, the 14/9/.2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this Department notifications number PBW-(C)A(3)-3/94-II, dated 30.5.2002 and agreement bond for contract appointment as "Annexure-B" to this notification, namely:-

Short title and commencement

1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (5th amendment) Rules, 2006.

   (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amemdment of Annexure-"A"

2. In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002;

   (a) For the existing provision against Col.No.10, the following shall be substituted namely:-

   (i) 25% by direct recruitment or on contract basis through the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission; and

   (ii) 75% by promotion.

Contd/- Page-2/-

(b) Below existing Column 15, a new Column No.15-A with the following provision shall be incorporated, namely:-

15-A Selection for appointment to post on contract basis and terms and conditions of appointment:

(a) Selection on contract basis shall be made by the concerned recruiting agency i.e. the HP Public Service Commission.

(b The Engineer-in-Chief, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place requisition with H.P. Public Service Commission for advertising the same in two leading news-papers and invite application from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) Candidate selected for appointment on contract basis will be initially appointed for one year which will be extended depending upon requirement of the services of such appointees and further subject to high standard of work, conduct and performance of such appointees. However, their services may be terminated even prior to the completion of contract period by issuing of one month notice or payment of one month wages in lieu of the notice if their services are not required due to non availability of work for which principle of first come last go shall be followed. Their services may also be terminated during the contract period if their conduct and performance is not found satisfactory for which notice with due opportunity of being heard

shall be given.

(d) Contract appointees shall be paid fixed emoluments per month as Basic Pay + Dearness Pay of the post or as prescribed by the Govt. from time to time.

(e Contract appointees so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(f)(i) The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

(ii) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(iii) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

(iv) Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

(v) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical

Practioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.

(vi) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

(vii) After selection of a candidate for appointment, he shall have to sign an agreement as laid down by the department attached as Annexure-"A" to these Rules or as amended from time to time

By Order,

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. PBW-A-B(13)-35/97 Dated : Shimla-2, the 14/9/.2006

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HP,PWD Shimla-171001.
2. All the Chief Engineers, HP,PWD.
3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, HP,PWD.
4. The Secretary, HP,PSC, Shimla-2.
5. Joint Secretary (Personnel/Finance/Law), Govt. of H.P., Shimla-2.
6. The Accountant General. HP Shimla-3.
7. Sr.Law Officer (Hindi),Law Deptt. HP Sectt., Shimla-2.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP Govt. Press, Shimla-5 for publication in the Exta ordinary Rajpatra. He is requested to supply 25 copies of the Rajpatra to this Department..

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE-"A"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this .... day of .... in the year ....between Smt./Sh.....................................S/o/D/o Sh...resident of ....
....
contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh (hereinafter SECOND PARTY).

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Civil) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) for a period of 1 year commencing on day of .... and ending on the day of..................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on....................... and information notice shall not be necessary.

2. Contract appointees shall be paid fixed emoluments per month as Basic Pay + Dearness Pay of th post or as prescribed by the Govt. from time to time.

3. Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

4. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

5. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

6. Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

7. Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of

contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.

9. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

Signature of the Contract Appointee

(First Party)

******

Signature of employer
(Second Party)

Witnesses

1

2

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
****

संख्या पी०बी०डब्ल्यू०(ए)ए(3)4/2009 दिनांक शिमला-2, 11 जून, 2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या पी०बी०डब्ल्यू०(सी)ए(3)3/94-II दिनांक 30.5.2002 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात: -

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (छठा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध-'क' का संशोधन 2 (1) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध-'क' में-

(क) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
"15600-39100रुपए + 5400/-रुपए ग्रेड पे।"

(ख) स्तम्भ संख्या: 11(ङ) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
"योजना सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल

.........2/-

या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर योजना सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका योजना सहायक, वृत्त मुख्य प्रारूपकार और मुख्य प्रारूपकार का संयुक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से योजना सहायक के रूप में की गई दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी, दोनों के न होने पर स्तम्भ संख्या: 11(घ) के सामने वर्णित प्रवर्गों में से प्रोन्नति द्वारा।"

....................चार प्रतिशत

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि दिनांक 11 जून, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है: -

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 1-4/71-PSC-Part दिनांक 04.01.2010 के सन्दर्भ में।
4. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
7. वरिष्ठ उप - महालेखाकार (ए, ऐण्ड ई), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
8. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी), विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. नियन्त्रक मुद्रण एवम लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु। इनसे यह भी निवेदन किया जाता है कि राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।
11. अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमचल प्रदेश, शिमला-2
12. गार्ड फ़ाईल।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PW(A)A(3)4/2009 DATED 11.06.2010 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department.

No. PBW(A)A(3)4/2009 Dated Shimla-2, the 11th June 2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide notification No. PBW(C)A(3)3/94-II, dated 30.05.2002 and as amended from time to time, namely:-

Short title and Commencement	1 (i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (6th Amendment) Rules, 2010.
	(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.	In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002: (a) For the existing provision against Col. No. 4, the following shall be substituted namely: - Rs. 15600-39100 + Rs.5400/- Grade Pay.

.....2/-

44

(b) For the existing provision against Col. No. 11(v), the following shall be substituted namely: -

Planning Assistants having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Planning Assistants having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service as Planning Assistant, Circle Head Draughtsman and Head Draughtsman combined out of which two years service rendered as Planning Assistant must be essential failing both by promotion from amongst the category mentioned against Column No. 11(vi).

..................04%

BY ORDER

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above, dated Shimla-2, the 11th June, 2010
Copy forwarded to:

1. The Accountant General, HP Shimla-3.
2. The Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-1.
3. All the Chief Engineers, HPPWD.
4. All the Superintending Engineers, HP PWD.
5. The Secretary, HP, Public Service Commission, Shimla-2.
6. Sr. Law Officer (Hindi), Law Department, HP Secretariat, Shimla-2.
7. The Controller, Printing and Stationery, HP Govt. Press, Shimla-5 for publication in the Extra ordinary Rajpatra. He is requested to supply 25 copies of the Rajpatra to this Department.
8. Guard file.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

68

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याःपी0बी0डब्लयू0ए0ए0(3)–7/2018 तारीख–शिमला–2, 07 फरवरी, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्लयू0(सी)ए(3)–3/94–II, तारीख 30.05.2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (सप्तम संशोधन) नियम, 2020 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई0 गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
उपाबन्ध "क" का संशोधन।	2.		हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध "क" मे,–
		(क)	स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– अनिवार्य अर्हताएं: "(क) अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान परिषद्/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक उपाधि

			अवश्य होनी चाहिए या इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरज (इण्डिया) कलकता से 31.5.2013 तक या इससे पूर्व ए.एम.आई.ई. के रूप में नामांकित हों। (ख) **वॉछनीय अर्हताएं:** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विंद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्ता" ।

आदेश द्वारा

जगदीश चन्द्र शर्मा
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0 यथोपरि तारीखः शिमला–2, 07 फरवरी, 2020
प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शदाता एवं अतिरिक्त सचिव विधि (राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2.
4. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला–2.
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–3.
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु।
8. नोडल अधिकारी(आई0टी0) o/o प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला–2.
9. गार्ड फाईल।

(डी.सी.नेगी)
विशेष सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[AUTHORATATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATON No.PBW-A-A(3)-7/2018 DATED .02-2020, AS REQUIRED UNDER CLAUSE(3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

Government of Himachal Pradesh
Department of Public Works

No.PBW-A-A(3)-7/2018 **Dated: Shimla-2, the 7th February, 2020**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this department notification No.PBW(C)A(3)3/94-II dated 30.05.2002, namely:-

Short title and Commencement	**1.**	**(i)**	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (7^{th} Amendment) Rules, 2020.
		(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	**2.**		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2002,- For the existing provisions against column No.7, the following shall be substituted, namely:- **"ESSENTIAL QUALIFICATIONS**:- (a) Must possess regular full time degree in Civil Engineering from an Institute/ University duly approved/ recognized by the AICTE/ UGC or AMIE enrolled upto on or before 31.5.2013 from Institute of Engineers (India), Calcutta.

Contd. page-2

			DESIRABLE QUALIFICATIONS: (b) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

By Order

Jagdish Chander Sharma
Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. Dated: Shimla-2, the 7th February, 2020

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of H.P Shimla.
2. Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) (O) to the Government of H.P.
3. The Secretary, HP, Public Service Commission, Shimla-2.
4. The Engineer-in-Chief, HPPWD, Nigam Vihar, Shimla-2.
5. All the Chief Engineers, HPPWD.
6. The Accountant General, H.P., Shimla-3.
7. The Controller, Printing and Stationery, HP Shimla-5 with a request to publish above notification in Rajpatra.
8. The Nodal Officer (IT) O/o ENC for uploading this notification on official website of HPPWD.
9. Guard file

(D.C.Negi)
Special Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh